(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

जी. संख्या - 104 नई दिल्ली, 11 मई, 2011

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एततद्वारा विशाखापट्टनम पत्तन न्यास में वॉइजाग सीपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के बर्थ संख्या ईक्यू-8 और ईक्यू-9 के प्रचालन हेतु प्रशुल्क की वैधता के अवधि को संलग्न आदेशानुसार बढ़ाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला संख्या. टीएएमपी/9/2008-वीएसपीएल

आदेश

(मई, 2011 के दूसरा दिन पारित)

यह मामला विशाखापट्टनम पत्तन न्यास में वॉइजाग सीपोर्ट लिमिटेड के बर्थ संख्या ईक्यू-8 और ईक्यू -9 के प्रचालन हेतु प्रचलित दरमान की वैधता की अवधि बढ़ाने से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने दिनांक 27 मार्च, 2009 के आदेश संख्या टीएएमपी/9/2007-वीएसपीएल के माध्यम से वीएसपीएल के प्रचलित दरमान को 31 मार्च, 2011 की वैधतावाली अवधि तक अनुमोदित किया था।

3. वीएसपीएल ने अपने पत्र दिनांक 31 दिसंबर, 2010 के माध्यम से दरमान के संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है। इसे संबंधित उपयोगकर्ताओं के परामर्श के लिए रखा गया है।

4. चूँकि वीएसपीएल और वीपीटी से माँगी गई आवश्यक अतिरिक्त सूचना/ स्पष्टीकरण प्राप्ति के उपरांत, अंतिम विचार विमर्श के लिए यह मामला परिपक्व होने के लिए अभी कुछ और समय लेगा, प्रचलित दरमान की वैधता को 30 सितंबर, 2011 तक अथवा संशोधित प्रशुल्क की कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि, इसमें से जो भी पहले हो, अवधि तक बढ़ाया जाता है।

5. इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, यदि 1 अप्रैल,2010 के बादवाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष